



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 721 राँची, बुधवार,

6 नवम्बर, 2024 (ई०)

प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

25 सितम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप-1-673/2014-27463 (HRMS)--उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-498/स्था०, दिनांक 08.08.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि विजिलेंस वाद सं०-10/10 सरकार बनाम शिवाजी भगत में ए०डी०जे०-II-सह विशेष न्यायाधीश निगरानी, दुमका के न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2024 को श्री शिवाजी भगत, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-107/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, नाला जामताड़ा को धारा-7 एवं 13(2) पी०सी० एक्ट में दोषी पाए जाने पर दिनांक 22.07.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय कारा, दुमका भेजा गया एवं उन्हें पी०सी० एक्ट की धारा-7 एवं 13(2) के तहत चार-चार साल सश्रम कारावास एवं साठ-साठ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है ।

2. अतः माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी, दुमका द्वारा श्री भगत को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने तथा दण्डित किये जाने के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(ख) के तहत दिनांक 22.07.2024 से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में श्री भगत का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है तथा उक्त अवधि में इनको झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	SHIVA JI BHAGAT (20080400128)	श्री शिवाजी भगत, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-107/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, नाला जामताड़ा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(ख) के तहत दिनांक 22.07.2024 से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है ।	22/07/2024

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
